प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2381/2006

याचिकाकर्ता:

गोपाल प्रसाद कौशिक, आयु लगभग 37 वर्ष, पिता श्री राधेलाल कौशिक, निवासी ग्राम परसदा, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा मुख्य सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर (छ.ग.)
3. जिला निर्वाचन अधिकारी, द्वारा: कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)
4. रिटर्निंग ऑफिसर/अनुविभागीय अधिकारी, मण्डी निर्वाचन, बिलासपुर (छ.ग.)
5. इंदा बाई @ इंदिरा बाई, पिता स्व. देवचरण, पति कुम्मत राम, आयु 35 वर्ष, जाति गोंड, अध्यक्ष, मण्डी समिति, बिलासपुर निवासी ग्राम पासिद, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6. कुम्मत राम जगत, पिता विशंभर, आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम कुआं, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) वर्तमान निवासी ग्राम पासोद, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका</u>

न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता: श्री बी.एल. डेम्बरा

उत्तरवादी क्रमांक 1, 3 एवं 4 हेतु शासकीय अधिवक्ता: श्री ए.एस. कछवाहा, उप-महाधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु अधिवक्ता: श्री शशांक ठाकुर

उत्तरवादी क्रमांक 5 एवं 6 हेतु अधिवक्ता: श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल

मौखिक आदेश

(दिनांक 12.11.2008 को पारित)

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 5, कृषि उपज मण्डी समिति, जिला बिलासपुर (संक्षेप में 'मण्डी समिति') के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 20.01.2006 एवं दिनांक 24.01.2006 को आयोजित निर्वाचन में विधिवत निर्वाचित हुई थी। याचिकाकर्ता ग्राम परसदा, जिला बिलासपुर का स्थायी निवासी है और मण्डी समिति का मतदाता है। उत्तरवादी क्रमांक 5 ने, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 36(**m**) के अधीन निरर्हता अर्थात् उसकी पांच जीवित संतानें थीं, जिनमें से दो का जन्म दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् हुआ था, होने के बावजूद दिनांक 04.01.2006 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय आपत्ति उठाई थी। उसे खारिज कर दिया गया था। अतः निर्वाचन के पश्चात्, नामांकन दाखिल करने के समय निरर्हता होने के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक के निर्वाचन को शून्य घोषित करने हेतु यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एल. डेम्बरा ने तर्क दिया है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 कृषि उपज मण्डी समिति, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथि पर निरर्हित थी या नहीं, इस मुद्दे का परीक्षण उस निर्वाचन याचिका में नहीं किया जा सकता जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 66-क के अधीन विहित है।

3. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी की निरर्हता निर्वाचन याचिका को चुनौती देने के मुख्य आधारों में से एक है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी या सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय निर्वाचन याचिका में नहीं किया जा सकता, अस्वीकार किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि संविधि निर्वाचन याचिका दायर करने का उपबंध करती है, तो रिट याचिका विचारणीय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एन.पी. पोन्नुस्वामी विरुद्ध रिटर्निंग ऑफिसर, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नामक्कल, सेलम जिला एवं अन्य [ए.आई.आर. (39) 1952 एस.सी. 44]** के प्रकरण में छह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया:

"12. अब यह सर्वविदित है कि जहाँ किसी संविधि द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृजित किया जाता है जो उसे प्रवर्तित करने के लिए एक विशेष उपचार प्रदान करता है, तो उस संविधिक उपचार का ही अवलंब लेना चाहिए। यह नियम विल्स जे. द्वारा वूल्वर हैम्पटन न्यू वाटर वर्क्स कं. विरुद्ध हॉक्सफोर्ड (1859) 6 सी.बी. (एन.एस.) 336, पृष्ठ 356 पर निम्नलिखित अंश में अत्यंत स्पष्टता के साथ प्रतिपादित किया गया था:

> "ऐसे तीन वर्ग के मामले हैं जिनमें संविधि पर आधारित दायित्व स्थापित किया जा सकता है। एक वह है, जहाँ सामान्य विधि के तहत दायित्व विद्यमान था, और उस दायित्व की पुष्टि एक संविधि द्वारा की जाती है जो सामान्य विधि के तहत विद्यमान उपचार से भिन्न एक विशेष और विशिष्ट प्रकार का उपचार प्रदान करती है; वहाँ, जब तक कि संविधि में ऐसे शब्द न हों जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा सामान्य विधि के उपचार को अपवर्जित करते हों, वादकारी पक्ष के पास या तो उसका या संविधिक उपचार का अनुसरण करने का विकल्प होता है। मामलों का दूसरा वर्ग वह है, जहाँ संविधि केवल वाद चलाने का अधिकार देती है, लेकिन उपचार का कोई विशेष रूप प्रदान नहीं करती: वहाँ, पक्ष केवल सामान्य विधि की कार्यवाही द्वारा आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक तीसरा वर्ग है, अर्थात् जहाँ सामान्य विधि के तहत विद्यमान नहीं रहने वाला दायित्व एक संविधि द्वारा सृजित किया जाता है जो साथ ही उसे प्रवर्तित करने के लिए एक विशेष और विशिष्ट उपचार प्रदान करती है... संविधि द्वारा प्रदान किए गए उपचार का पालन किया जाना चाहिए, और पक्ष के लिए दूसरे वर्ग के मामलों में लागू मार्ग का अनुसरण करना सक्षम नहीं है। संविधि द्वारा दिए गए प्रारूप को अपनाना और उसका पालन करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस अंश में प्रतिपादित नियम को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा **नेविल विरुद्ध लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड (1919) ए.सी. 368** में अनुमोदित किया गया था और प्रिवी काउंसिल द्वारा **अटॉर्नी**

जनरल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो विरुद्ध गॉर्डन ग्रांट एंड कं. 1935 ए.सी. 532 और **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विरुद्ध मास्क एंड कं. 44 कलकत्ता डब्ल्यू.एन. 709** में पुनः पुष्टि की गई है; और इसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी समान रूप से लागू माना गया है (देखें **हरदूतराय विरुद्ध ऑफि. असाइनी ऑफ कलकत्ता, 52 कलकत्ता डब्ल्यू.एन. 343, पृष्ठ 349**)। ऐसा होने पर, मुझे लगता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों से यह एक उचित निष्कर्ष होगा कि अधिनियम केवल एक उपचार का उपबंध करता है, वह उपचार निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली निर्वाचन याचिका द्वारा है, और किसी मध्यवर्ती चरण में कोई उपचार प्रदान नहीं किया गया है।"

5. **मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य [(1978) 1 एस.सी.सी. 405]** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब संविधि के अधीन निर्वाचन याचिका दायर करने का उचित मंच प्रदान किया गया है, तो उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं है क्योंकि निर्वाचन याचिका के लिए पूर्ण विचारण की आवश्यकता होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **इंद्रजीत बरुआ एवं अन्य विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य [ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 103]** और **मंदा जगन्नाथ विरुद्ध के.एस. रत्नम एवं अन्य [(2004) 7 एस.सी.सी. 492]** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एन.पी. पोन्नुस्वामी (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में लिए गए दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की।

7. तत्पश्चात्, **अवतार सिंह हित विरुद्ध दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति एवं अन्य [(2006) 8 एस.सी.सी. 487]** के प्रकरण में, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एन.पी. पोन्नुस्वामी (पूर्वोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत का अवलंब लेते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया था:

> "19. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ निर्वाचन किसी संविधि के उपबंधों के अनुसार संचालित किए जाते हैं और संविधि एक न्यायाधिकरण के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर करके निर्वाचन विवादों के निराकरण का उपचार भी प्रदान करती है, तो केवल उसी उपचार का अवलंब लिया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाहियों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक श्रृंखला में अपनाया गया है....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यही सिद्धांत **गुरदीप सिंह ढिल्लों विरुद्ध सतपाल एवं अन्य [(2006) 10 एस.सी.सी. 616]** के प्रकरण में दोहराया गया था।

9. विद्वान अधिवक्ता द्वारा **हल्के महते विरुद्ध एच.सी. कामथान, अनुविभागीय अधिकारी, करेरा एवं अन्य, 1969 जे.एल.जे. संक्षिप्त टिप्पणी 39** के निर्णय पर लिया गया अवलंब याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बार-बार विचार किया गया है। अन्यथा भी, वर्तमान मामले में विनिश्चय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग से संबंधित है।

10. परिणामतः और ऊपर वर्णित कारणों से, रिट याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur